

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स 07369 - 235085, ई-मेल hegctaruji@mp.gov.in, gc.tarana@yahoo.com

क्रमांक : 366 /2019

तराना, दिनांक : 19/10/2019

संशोधित निविदा

अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों हेतु।

निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनांतर्गत क्रय हेतु निविदा आमंत्रण 2019-20

इस महाविद्यालय के पत्र क्रमांक 331/2019 तराना दिनांक 30/09/2019 को एस.सी/एस.टी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय हेतु जारी निविदा में आंशिक संशोधन करने हुए लांग कॉपी का ब्रांड ए.टी.सी. भाव नोटबुक को विलोपित कर (हटाकर) उक्त ब्रांड की जगह लांग कॉपी की G.SM पेपर क्वालिटी के आधार पर पड़ी जाये। संशोधन निविदा के अंतिम तिथि वेबसाईड पर अपलोड होने से 15 दिन की रहेगी।

महाविद्यालय में सत्र 2019-20 हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुमानित 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनांतर्गत राशि रु. 500/- की स्टेशनरी के सेट क्रय हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवच्य होना चाहिये। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, भाव पत्र निम्न विवरण के साथ विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस तक महाविद्यालय में स्वयं/डाक द्वारा कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

1. लंग कॉपी 198 पेज	-	ए4 साईज (G.SM पेपर क्वालिटी)	प्रति नग
2. लांग कॉपी 240 पेज	-	ए4 साईज (G.SM पेपर क्वालिटी)	प्रति नग
3. लांग कॉपी 152 पेज	-	ए4 साईज (G.SM पेपर क्वालिटी)	प्रति नग
4. लांग कॉपी 240 पेज	-	ए4 साईज रफ-नोटबुक	प्रति नग
5. बॉल पेन (नीला)	-	(Corbonix) Flair	प्रति नग
6. स्केल (स्टील 12 इंच)	-	जेवशन	प्रति नग
7. डाक्यूमेंट्स फाइल	-	12 फोल्डर (सकुरा)	प्रति नग
8. पंच मशीन	-	कोरस के.पी-80	प्रति नग

शर्तें -

1. इच्छुक निविदादाता को अपनी निविदा, निविदा विज्ञापित अपलोड होने के दिनांक से 15 दिवस तक कार्यालयीन समय में कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. क्रमांक 1 से 08 तक सामग्री का नमूना प्रति निविदा के साथ संलग्न कर भेजे।
3. भण्डार क्रय नियमों की समस्त शर्तों लागू होगी जो फर्म को मान्य होगी।
4. जी.एस.टी. की राशि (यदि कोई हो) का पृथक से उल्लेख करें।
5. सामग्री का एफ.ओ.आर. शासकीय महाविद्यालय तराना जिला उज्जैन को प्रदाय करना होगा। पृथक से कोई व्यय नहीं होगा।
6. स्टेशनरी के क्रय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे। कोई भी विवाद होने पर प्राचार्य का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।
7. लिफाफे पर अजा/अजजा स्टेशनरी क्रय निविदा सत्र 2019-20 आवश्य लिखें।
8. भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से होगा। अतः बैंक खाता क्रमांक एवं आईएफएसी कोड बिल पर अवश्य लिखें।

(डॉ पंकज माहेश्वरी)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, तराना
शासकीय महाविद्यालय,
तराना